

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)  
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र / 2024 / 27 दायर दिनांक 13/03/24

धारा 136 एल.आर.एक्ट

उनवान- नारायणसिंह पिता उमरावसिंह सोंधिया नि0 सारंगाखेडा तहसील पिड़ावा  
बनाम  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

आदेश दिनांक 13/03/2024

उक्त उनवानी प्रकरण मे ग्राम सारंगाखेडा पटवार मण्डल रमायदलपत तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ के तरमीम दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पिड़ावा की अनुशसा के आधार पर के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण ग्राम सारंगाखेडा पटवार मण्डल रमायदलपत तहसील पिड़ावा की आराजी भूमि खसरा नम्बर 980/925 रकबा 1.5176 हैक्टेयर की वर्तमान में दर्ज तरमीम को तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम सारंगाखेडा पटवार मण्डल रमायदलपत तहसील पिड़ावा	980/925	तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा भाग-अ	तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार भाग-ब

संलग्न:- नजरी नक्शा किता-1

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0) 13/03/24

क्रमांक:- राजस्व / 2024 / 27

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार पिड़ावा को आदेश प्रति भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।



*[Handwritten signature]*

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

9C

